

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- ए.3(1)साप्र/2/2012

आदेश :-

जयपुर, दिनांक 16-7-12

श्री कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस., विशेषाधिकारी, कार्मिक (क-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर जिनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 84/2012 है तथा सेवानिवृत्ति दिनांक 30.4.2044 है के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर राजकीय आवास संख्या 11/53, एवीएस, गांधीनगर, जयपुर का नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है -

शर्तें:

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और बसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार बसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. मुँकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(II)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असाफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात् उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटनी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटनी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर पति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटनी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:
 1. आवंटन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवंटन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी के द्वारा कोई स्वयं/पति व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. श्री कुमार पाल गौतम से "कॉमन सुविधा" शुल्क राशि रुपये 300/- (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा करायेगें।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

आज्ञा से,



(मनमूल वैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, जयपुर।
3. विशेषाधिकारी, कार्मिक (क-1) विभाग।
4. उप सचिव (वी.पी.) मुख्यमंत्री कार्यालय को उ.पी आई.डी. संख्या एफ12003238 दिनांक 16.7.2012 के क्रम में।
5. निदेशक, समग्र विभाग, गिनी सचिवालय, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रवक्ता, सर्किट हाउस, जयपुर।
8. प्रवक्ता, राजकोष, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
9. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता, साठनिविद/जन स्वाठ अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0नियम लि0, गांधीनगर जयपुर।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करावें साथ ही आवंटनी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असाफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की प्राप्ति को भी अगल में लावें।
12. श्री कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस., विशेषाधिकारी, कार्मिक (क-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गांधी, गांधीनगर, जयपुर।
15. शासन सहायक सचिव (निदेशक अधिकारी) सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
16. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, साध्वि।
17. रक्षित मात्रावली।

(मनमूल वैरवा)

शासन सहायक सचिव